UPCD010011992025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, चन्दौली

उपस्थितः–दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी (एच.जे.एस.)

J.O.Code.U.P.5730

सिविल निगरानी संख्या – 08/2025

1.हुस्नबानो वयस्क पत्नी स्व0 बदीउज्जमा
2.अरसद अली वयस्क पुत्र स्व0 बदीउज्जमा
3.इरशाद अली वयस्क पुत्र स्व0 बदीउज्जमा
4.निशान्त अली वयस्क पुत्र स्व0 बदीउज्जमा
5.नौशाद अली वयस्क पुत्र स्व0 बदीउज्जमा
सभी निवासीगण मकान नम्बर 33/1 मोहल्ला कसाब महाल पं0दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) परगना मवई तहसील पं0दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) जिला चन्दौली –निगरानीकर्तागण

प्रति

1.मो0 इलियास खॉ वयस्क पुत्र स्व0 भुल्लन खॉ निवासी मकान नम्बर 33/2 हाल नम्बर 48 निवासी कसाब महाल पं0दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) परगना मवई तहसील पं0दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) जिला चन्दौली –उत्तरदाता सेट नम्बर–1
2.मोहिसिन वारसी वयस्क पुत्र स्व0 अहमद रजा वारसी
3.जहीन अहमद वारसी वयस्क पुत्र स्व0 अहमद रजा वारसी
4.वसीम अहमद वारसी वयस्क पुत्र स्व0 अहमद रजा वारसी
5.ताहिर अहमद वारसी वयस्क पुत्र स्व0 अहमद रजा वारसी
6.शाहिद वारसी वयस्क पुत्र स्व0 खालिक रजा वारसी
सभी निवासीगण मकान नम्बर 34 हाल नम्बर 49 कसाब महाल पं0दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) परगना मवई तहसील पं0दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) जिला चन्दौली –उत्तरदातागण सेट नम्बर–2

निर्णय

1. प्रस्तुत सिविल निगरानी याचिका 4क/1 ता 4क/4 निगरानीकर्तागण उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र निगरानीकर्ता संख्या–2 अरशद अली 5ग उपरोक्त की ओर से विपक्षीगण उपरोक्त के विरूद्ध न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) चन्दौली के न्यायालय द्वारा वाद संख्या 72/2017 मोहम्मद इलियास आदि बनाम मोहिसिन वारसी आदि की पत्रावली में पारित आदेश दिनांकित 04–02–2025 जिसके द्वारा उक्त हुस्नबानो आदि की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 दीवानी प्रक्रिया संहिता खारिज कर दिया गया है,के विरूद्ध योजित की गई है।

2. निगरानीकर्तागण उपरोक्त का अपने उक्त सिविल निगरानी याचिका 4क/1 ता 4क/4 में यह कहना है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 04–02–2025 विधि एवं तथ्य के विपरीत तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन न करके पारित किया गया है। निगरानीकर्तागण की ओर से प्रश्नगत वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु

Digitally signed by DIWAKAR PRASAD CHATURVEDI
Date: 2026.03.14 10:45:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थनापत्र 18ग अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 दीवानी प्रक्रिया संहिता अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिस पर उनके द्वारा अवर न्यायालय में विधि के अनुसार बल दिया गया परन्तु अवर न्यायालय द्वारा कतिपय कारणों से प्रार्थनापत्र 18ग की सुनवाई हेतु पक्षकारों को अवसर प्रदान किया गया जिसका उत्तरदायित्व निगरानीकर्तागण पर कदापि नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा उनका प्रार्थनापत्र 18ग प्रश्नगत आदेश के द्वारा यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि उस पर निगरानीकर्तागण द्वारा बल नहीं दिया गया जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अवर न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाकर त्रुटिपूर्ण ढंग से दिनांक 04–02–2025 को प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अतः सिविल जज (जू.डि.) चन्दौली के न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 04–02–2025 को अपास्त किया जाय।

3. निगरानीकर्तागण उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त सिविल निगरानी याचिका पर विपक्षी संख्या–1 मोहम्मद इलियास खॉ की ओर से दिनांक 12–02–2026 को आपत्तिपत्र 21ग/1 ता 21ग/4 मय शपथपत्र 22ग प्रस्तुत किया गया जिसमें यह अभिकथित है कि वह विवादित सम्पत्ति का तनहा मालिक व काबिज है तथा विवादित सम्पत्ति उसने दिनांक 28–07–90 को जरिए बैनामा क्रय किया था और अपने क्रयशुदा रकबे पर काबिज दखील है तथा उसका मकान नम्बर 47 नगर पालिका मुगलसराय द्वारा दर्ज किया गया है जिसका बहैसियत भवन स्वामी व गृहकर आदि जमा करता चला आ रहा है तथा उसके बैनामे की वैधता को वाद संख्या 151/2004 अजनाम मोहिसिन वारसी बनाम बदीउज्जमा के माध्यम से चुनौती दी गई जो दिनांक 29–05–2023 को दावा वापस ले लिया गया जिसमें निगरानीकर्तागण पक्षकार नहीं थे। उक्त मुकदमा वापस होने के बाद निगरानीकर्तागण द्वारा सिविल जज (सी.डि) चन्दौली के न्यायालय में उसके विरूद्ध हुस्नबानो आदि बनाम इलियास आदि दाखिल किया गया तथा उक्त मुकदमा भी आदेश–23 नियम–1 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत पॉच हजार रूपये हर्जे पर दिनांक 03–12–2022 को वापस ले लिया गया तथा नया वाद संस्थित करने की अनुमति नहीं मॉगी गई। उत्तरदाता द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा वाद मुकदमा नम्बर 72/2017 में हुस्नबानो आदि द्वारा प्रार्थनापत्र 18ग पक्षकार बनने हेतु दिया गया था जिसके विरूद्ध उसकी ओर से लिखित आपत्ति कागज संख्या 21ग दाखिल की गई और पूर्ववर्ती वाद एवं दावा वापसी आदेश की कापी भी दाखिल की गई तथा अन्ततः मुकदमें में अपनी कमजोरी देखते हुए अदालत में हाजिर होने के बाद भी कई अवसर एवं बार–बार अवसर देने के बाद जब उनके द्वारा प्रार्थनापत्र 18ग पर तर्क नहीं दिया गया तब अवर न्यायालय ने उनकी उपस्थिति दर्ज करते हुए प्रार्थनापत्र 18ग पर बल न देने के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र 18ग निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत यह सिविल निगरानी याचिका खारिज की जाय।

4. निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत इस सिविल निगरानी याचिका पर विपक्षीगण 02 ता 06 की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई जबकि उन पर आदेश दिनांकित 06–08–2025 के द्वारा तामीला पर्याप्त माना गया। विपक्षीगण 02 ता 06 न तो न्यायालय में उपस्थित आये और न ही प्रश्नगत सिविल निगरानी याचिका पर उनके द्वारा कोई लिखित आपत्ति दाखिल की

गई।

5. मैंने निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत सिविल निगरानी याचिका 4क/1 ता 4क/4 व उस पर विपक्षी संख्या–1 की ओर से दाखिल आपत्ति पत्र 21ग/1 ता 21ग/4 पर निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुन लिया है व इस पत्रावली का तथा अवर न्यायालय से तलबशुदा मूलवाद संख्या 72/2017 मोहम्मद इलियास बनाम मोहिसिन वारसी आदि की पत्रावली का भी विस्तारपूर्वक अवलोकन कर लिया है।

6. अवर न्यायालय से तलबशुदा मूलवाद संख्या 72/2017 मोहम्मद इलियास बनाम मोहिसिन वारसी आदि की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसमें निगरानीकर्तागण हुस्नबानो आदि की ओर से एक प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 दिनांकित 19–07–2017 पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिस पर सुनवाई हेतु अवर न्यायालय द्वारा तिथियॉ नियत होती रहीं और अन्ततः अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 25–08–2023 की तिथि नियत की गई परन्तु अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 25–08–2023 को उक्त प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 पर सुनवाई नहीं की गई और पत्रावली में तारीख पेशी 20–10–2023 अन्तिम अवसर देते हुए नियत की गई परन्तु दिनांक 20–10–2023 को भी उक्त प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 पर अवर न्यायालय द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई और दिनांक 20–10–2023 को उक्त प्रार्थनापत्र के सुनवाई हेतु तिथि 16–12–2023 नियत की गई पुनः अवर न्यायालय द्वारा तिथियॉ नियत की जाती रही परन्तु उक्त प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 पर सुनवाई नहीं की गई और आगे तिथियॉ नियत की जाती रहीं और दिनांक 04–02–2025 को जब पुकार पर वादी, प्रतिवादीगण व तृतीय पक्ष हुस्नबानो आदि उपस्थित थी तो अवर न्यायालय द्वारा हुस्नबानो आदि की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 अवर न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि हुस्नबानो आदि द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 पर बल नहीं दिया जा रहा है और उन्हें उक्त प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 पर सुनवाई हेतु कई अवसर प्रदान किये जा चुके हैं और विगत तिथि पर अन्तिम अवसर भी दिया गया था और उपस्थित होने के बावजूद दिनांक 04–02–2025 को तृतीय पक्ष हुस्नबानो आदि की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र18ग/1 ता 18ग/2 पर बल नहीं दिया गया और अब उन्हें उक्त प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 की सुनवाई हेतु और अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है और प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 बल न दिए जाने के कारण खारिज किया जाता है। मूलवाद संख्या 72/2017 मोहम्मद इलियास बनाम मोहिसिन वारसी आदि की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हुस्नबानो आदि की ओर से अथवा उनके अधिवक्ता की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 पर दिनांक 04–02–2025 को इस आशय का कोई अंकन नहीं किया गया था कि वे उक्त प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 पर बल नहीं दे रहे हैं। जब हुस्नबानो आदि की ओर से अथवा उनके अधिवक्ता की ओर से दिनांक 04–02–2025 को उक्त प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 पर इस आशय का कोई अंकन नहीं किया गया कि वे उक्त प्रार्थनापत्र पर बल नहीं दे रहें है तो अवर न्यायालय द्वारा किन परिस्थितियों में दिनांक 04–02–2025 को प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 इस

आधार पर खारिज कर दिया गया कि हुस्नबानो आदि की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 पर बल नहीं दिया जा रहा है। जब हुस्नबानो आदि दिनांक 04–02–2025 को अवर न्यायालय में उपस्थित थे तो अवर न्यायालय को यह चाहिए था कि वह प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 की सुनवाई करती और तत्पश्चात गुण–दोष पर उस पर आदेश पारित करती। पुनः अवर न्यायालय से तलबशुदा उक्त पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हुस्नबानो आदि की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 दाखिल करने के बाद अवर न्यायालय द्वारा कई तिथियों पर स्वतः बिना हुस्नबानो आदि की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र दिए तिथियॉ नियत की जाती रही और अविधिक रूप से दिनांक 04–02–2025 को हुस्नबानो आदि की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 यह लिखते हुए खारिज कर दिया गया कि उनकी ओर से प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 पर बल नहीं दिया जा रहा है और हुस्नबानो आदि द्वारा अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 पर इस आशय का भी कोई अंकन दिनांक 04–02–2025 को नहीं किया गया था कि वे प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 पर बल नहीं दे रहें है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 04–02–2025 विधिपूर्ण आदेश नहीं है और निरस्त किए जाने योग्य है तथा निगरानीकर्ता हुस्नबानो आदि की ओर से प्रस्तुत यह सिविल निगरानी याचिका 4क/1 ता 4क/4 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

7. निगरानीकर्तागण हुस्नबानो आदि की ओर से प्रस्तुत यह सिविल निगरानी याचिका 4क/1 ता 4क/4 स्वीकार की जाती है तथा सिविल जज (जू.डि.) चन्दौली के न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या 72/2017 मोहम्मद इलियास खॉ बनाम मोहिसिन वारसी आदि की पत्रावली में पारित आदेश दिनांकित 04–02–2025 जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 दीवानी प्रक्रिया संहिता खारिज कर दिया गया है, को अपास्त किया जाता है तथा अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वे पुनः उक्त प्रार्थनापत्र 18ग/1 ता 18ग/2 पर उभयपक्षों को सुनकर विधिपूर्ण आदेश पारित करे। इस निर्णय की एक प्रति अवर न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। अवर न्यायालय से तलबशुदा मूलवाद संख्या 72/2017 मोहम्मद इलियास बनाम मोहिसिन वारसी आदि की पत्रावली अविलम्ब अवर न्यायालय को वापस प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक तकमीलात यह पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–13–03–2026

(दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी)
जिला न्यायाधीश,
चन्दौली।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः–13–03–2026

(दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी)
जिला न्यायाधीश,
चन्दौली।
J.O.Code.U.P.5730

स्टेनो– संजीत सिंह